

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.1(9)नविवि / II / 2013


जयपुर, दिनांक : 10 AUG 2017

आज्ञा

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के समुख अंकित स्थानों पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पदनाम	कहां से	कहां को
1.	श्री महेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता	नगर विकास न्यास, आबू पवर्त।	नगर निगम, कोटा
2.	श्री पवन कुमार, वरिष्ठ प्रारूपकार	नगर पालिका, कुचामनसिटी (नागौर)	नगर नियोजन विभाग (मुख्यालय), जयपुर।
3.	श्री राज सिंह, परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ)	राजस्थान आवासन मण्डल, नागौर	राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर
4.	श्री प्रतीक श्रीवास्तव, आवासीय अभियन्ता	राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-प्रथम, जयपुर	खण्ड गुणवत्ता नियंत्रण-द्वितीय, जयपुर श्री एच.आर.नवल के स्थान पर
5.	श्री एच.आर.नवल, आवासीय अभियन्ता	खण्ड गुणवत्ता नियंत्रण-द्वितीय, जयपुर	राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-प्रथम, जयपुर।
6.	श्री गोपाल लाल बिरदा, आवासीय अभियन्ता	राजस्थान आवासन मण्डल, पाली से स्थानान्तरणाधीन	राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर।
7.	श्री गोविन्द सिंह देवल, आवासीय अभियन्ता	तकनीकी सलाहकार, वृत्त-प्रथम, जोधपुर	राजस्थान आवासन मण्डल, अमजोर
8.	श्रीमती कविता भाटी, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	नगर निगम, बीकानेर	नगर विकास न्यास, बीकानेर
9.	श्री कन्हैया लाल भादाणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	नगर विकास न्यास, बीकानेर।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(राजेन्द्र सिंह शेरखावत)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

कृ.प.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, आबू बीकानेर एवं श्रीगंगानगर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर, कोटा
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, कुचामनसिटी, नागौर।
9. विरिष्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी।
11. रक्षित पत्रावली।

Dr १९८७  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय